संख्या / II-2007-03(04)/07

प्रेषक,

टीकम सिंह पवार,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई विभाग देहरादून : दिनांक 11 मई, 2007

विषयः वित्तीय वर्ष 2007–08 में आयोजनेत्तर मदों में सिंचाई संसाधनों के अनुरक्षण हेतु धनावंटन ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 255/XXVII(1)/2007 दिनांक 26.3.07 में दिये गये निर्देशों के क्रम में एवं आपके पत्र संख्या 1447/मु0अ0वि0/बजट/बी–1 सामान्य दिनांक 10.4.07 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिंचाई विभाग के लिये वर्ष 2007–08 में कार्यों के अनुरक्षण हेतु आयोजनेत्तर पक्ष में रू0 1797.46 लाख (रूपये सत्रह करोड़ सतानबे लाख छियालिस हजार मात्र) की प्राविधानित धनराशि जिसका विवरण संलग्नक में अंकित है, को व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1– सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यों के विरूद्ध ही किया जाय, एवं केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। खण्डवार/जनपदवार/कार्यवार फॉट की सूचना शासन को भी उपलब्ध करायी जाय।

2 व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राविधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति भी आवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3 किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार क्रय प्रक्रिया (स्टोर पर्चेज रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1, वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम–1, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–।। लेखा नियम–1 आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह भी उल्लेखनीय है कि शासन के व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्यता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4— जहाँ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीक का प्रयोग किया जाय।

5— स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

6 कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

7 अब तक स्वीकृत धनराशि के कृत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

8 मासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग त्रैमास के अन्तर्गत कर लिया जायेगा। अवमुक्त की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

9 आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण त्रैमासिक आवश्यकतानुसार ही किया जाये ।

10— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-20 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में संलग्नक में उल्लिखित उपशीर्षकों के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 70...../XXVII (2) /2007 दिनांक ..8/5/07... में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव

संख्या 525/ II–2007–03(04)/07,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. निजी सचिव, सिंचाई मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
3. महालेखकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग–2
5. श्री एम0एस0 पन्त, अपर सचिव, वित्त, बजट,अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त कोषाधिकारी/जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

संलग्न : यथोक्त।

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव

(3)

शासनादेश संख्या/525/11–2007–03 (04)/06 दिनांक 11-5-07 का संलग्नक

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	लेखाशीर्षक	आवंटित धनराशि
	2700–मुख्य सिंचाई, 80–सामान्य, 800–अन्य व्यय 05–प्रमुख अभियन्ता की रक्षित धनराशि –00–	
1.	29 अनुरक्षण	2.50
2.	31–सामग्री एवं सम्पूर्ति	10.67
	07–पैट्रोल गाडियों/पैट्रोल आदि हेतु	
3.	15–गाडियों का अनुरक्षण और पैट्रोल आदि की खरीद	0.83
	योग–2700	14.00
	2701 मध्यम सिंचाई, 10–तुमरिया योजना, 101–रखरखाव और मरम्मत, 02–अन्य रखरखाव व्यय, 0201–अनुरक्षण कार्य	
1.	29 अनुरक्षण	68.68
	02 विशेष मरम्मत	
	29 अनुरक्षण	23.00
2.	11 दून नहरे	
	101–रखरखाव और मरम्मत	
	02–अन्य रखरखाव व्यय	
	01 अनुरक्षण कार्य	
	29–अनुरक्षण	67.33
	02–विशेष मरम्मत	
	29–अनुरक्षण	22.67
3.	12–हरिपुरा बौर बांध व नहरें	
	101–रखरखाव और मरम्मत	
	02–अन्य रखरखाव व्यय	
	01–अनुरक्षण कार्य	
	29–अनुरक्षण	56.33
	02–विशेष मरम्मत	
	29–अनुरक्षण	16.67
4.	13–अन्य सिंचाई योजनायें	
	101–रखरखाव और मरम्मत	
	02–अन्य रखरखाव व्यय	
	01–अनुरक्षण कार्य	
	29–अनुरक्षण	53.33
	02–विशेष मरम्मत	
	29–अनुरक्षण	17.67

.....2

क्र0 सं0	लेखाशीर्षक	आवंटित धनराशि
5.	20- शाध संस्थान रूड़की (अवाणिज्यिक)	
	101-रखरखाव और मरम्मत	
	02- अन्य रखरखाव व्यय	
	01- अनुरक्षण कार्य	
	29- अनुरक्षण	10.00
6.	80- सामान्य	
	052- मशीनरी तथा उपस्कर	
	03- नवीन सम्पूर्ति	
	26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0.18
	04- मरम्मत	
	26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0.11
8.	07-मोटर गाड़ियों पैट्रोल आदि हेतु	
	15-गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पैट्रोल आदि की खरीद	0.83
	योग- 2701	**336.79**
1.	2702- लघुसिंचाई	
	03- रखरखाव	
	101- जल टंकी	
	02- अन्य रखरखाव व्यय	
	29- अनुरक्षण	266.67
2.	102- लिफ्ट सिंचाई योजनायें	
	03- अनुरक्षण कार्य	
	09- विद्युत देय	238.00
	29- अनुरक्षण	38.67
3.	103-नलकूप	
	03-अनुरक्षण कार्य	
	09-विद्युत देय	623.33
	29-अनुरक्षण	183.33
	योग-2702	**1350.00**
1.	2711- बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास	
	01- बाढ़ नियंत्रण	
	103-सिविल निर्माण कार्य	
	03-सिविल निर्माण कार्य	
	29- अनुरक्षण	96.67
	योग- 2711	**96.67**
	वृहद योग	**1797.46**

(रुपये सत्रह करोड़ सतानबे लाख छियालिस हजार मात्र)

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव

1105 02002 P(M)